अध्याय XIV- लेखापरीक्षा के आधार पर सीपीएसई द्वारा वसूली और सुधार/संशोधन

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, एयरलाइन एलाइड सर्विसेज लिमिटेड, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी निगम लिमिटेड, हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एनबीसीसी (आई) लिमिटेड, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एचएमसीटी और एएन, मिनरल एक्सप्लोरेशन कार्पोरेशन लिमिटेड, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, नेशनल इंश्योरेंश कम्पनी लिमिटेड, नादर्न कोलफील्डस लिमिटेड, न्यू इंडिया एश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड, एनएचपीसी लिमिटेड, न्यू मैंगलोर पोर्ट ट्रस्ट, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, भिलाई स्टील प्लांट-सेल, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंश कम्पनी लिमिटेड और वेस्टर्न कोलफील्डस लिमिटेड

14.1 लेखापरीक्षा के आधार पर वसूली

20 सीपीएसई से संबंधित 25 मामलों में, लेखापरीक्षा में बताया कि ₹96.78 करोड़ की राशि वसूली के लिए शेष थी। सीपीएसई के प्रबंधन ने **परिशिष्ट-I** में बताया गया है कि 2016-17 की अवधि के दौरान ₹72.10 करोड़ की राशि (74.50 *प्रतिशत*) वसूल की गई थी।

हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, बीपीसीएल और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

14.2 लेखापरीक्षा दृष्टान्त के अनुसार पुनरीक्षण/परिशोधन

जांच परीक्षण के दौरान, प्रणाली में नियमो/विनियमों और कमियों के उल्लंघन से संबंधित मामले देखे गए और प्रबंधन के सामने लाये गए थे। उन मामलों के ब्यौरे जहां सुधारात्मक कार्रवाई की गई थी और नियमों/विनियमों आदि में प्रबंधन द्वारा लेखापरीक्षा में बताए गए परिवर्तन **परिशिष्ट-II** में दिये गए हैं।